20/4/26

पत्रावली वास्ते नि० नि० पेश हुई। उप० पक्ष० उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत नि० नि० शामिल० किया गया। पत्रावली नंबर से कम हो।

नि० नि० सुनाया गया।

GCMS 2025/337

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

राज मोहम्मद आदि बनाम बली मोहम्मद आदि

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–136/2025

GMS:-2025/337

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अपपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पिता मोहम्मद सदीक पुत्र श्री मिलू शाह के नाम से ग्राम ठुकराना बाद में बना नवीन ग्राम प्रभातनगर खाता नं0 163/133 ख0न0 685/277 की 8.855 है0 भूमि व इसके अलावा इसी ग्राम के खाता नं0 167/168 ख0न0 499/140 में 2.0370 है0, ख0न0 509/145 में 1.505 है0 कुल 3.542 है0 भूमि में 1/6 हिस्सा दर्ज हैं। इस प्रकार दोनो खातो में कुल 9.445 है0 भूमि दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी नं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 2/6 हिस्सा भूमि आती हैं। जो कि पैतृक भूमि की श्रेणी में आती हैं। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हिस्सा हैं। प्रार्थीगण अपने हिस्से में प्राप्त रकबा में ढाणी बनाकर निवास करते हैं एवं काश्त करते हैं। प्रार्थीगण भोले भाले ग्रामीण क्षैत्र के अनपढ काश्तकार हैं। प्रार्थीगण को अपने साथ न रखकर घर से निकाल दिया हैं। अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 उक्त भूमि को बैचान करने की धमकी दे रहें हैं एवं प्रार्थीगण द्वारा जा अपने हिस्से में फसल काश्त की हैं उसको नष्ट करने पर उतारू हैं। वर्णित भूमि को बैचान कर कब्जा खरीददार को सौपने की बार–बार धमकीया दे रहें हैं। अगर अप्रार्थी नं0 1 व 2 इसमें कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय आर्थिक क्षति होगी। जैर प्रार्थना पत्र भूमि दादा से विरासतन अप्रार्थी नं0 1 व 2 को आई हैं। प्रार्थीगण अपने–2 पिता अप्रार्थी नं0 1 व 2 से जन्म से ही हक होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण का बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए स्वीकार कर जैर प्रार्थना पत्र भूमि स्व0 मोहम्मद सदीक पुत्र श्री मिलू शाह के नाम से दर्ज ग्राम प्रभातनगर खाता नं0 163/133 ख0न0 685/277 की 8.855 है0 भूमि व इसके अलावा इसी ग्राम के खाता नं0 167/168 ख0न0 499/140 में 2.0370 है0, ख0न0 509/145 में 1.505 है0 कुल 3.542 है0 भूमि में 1/6 हिस्सा खातेदारी भूमि को अप्रार्थी नं0 1 व 2 रहन बैचान व हस्तान्तरण ना करें एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलादांजी स्वयं करें एवं ना ही किसी से करावें। मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रत्युतर में वकील अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि रोही प्रभातनगर के खाता नं0 167/168 ख0न0 499/140 में 2.0370 है0, ख0न0 509/145 में 1.505 है0 कुल 3.542 है0 भूमि में अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पिता का 1/7 हिस्सा बनता हैं। जमाबंदी का अवलोकन किया जा सकता हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण मुस्लिम विधि से शासित होते हैं। जिसमें पैतृक भूमि से सम्बन्धित कोई अवधारणा नही होती हैं। मुस्लिम विधि में पिता के जीवनकाल में हिस्सा नही मांगा जा सकता हैं। इनको सबसे पहले सिविल कोर्ट से अपने अधिकार तय करवाने होगें उसके बाद ही राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थीगण अपने पिता से अलग रहते हैं मात्र विरासतन इन्तकाल दर्ज ना हो। इसलिये ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण के पास इन्च भूमि पर भी कब्जा नही हैं। यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर लिया जाता हैं तो न पूरा होने वाला नुकसान अप्रार्थीगण को हैं तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन भी अप्रार्थी [illegible] के पक्ष में हैं। [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त फरमाया [illegible] बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन [illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि वर्तमान में अप्रार्थी [illegible] के पिता मोहम्मद सदीक पुत्र श्री मिलूशाह के नाम से दर्ज हैं। [illegible] भूमि में स्व0 मोहम्मद सदीक का 1/7 हिस्सा बनता हैं [illegible] जमाबंदी के अवलोकन से साबित हैं। प्रार्थीगण मुस्लिम विधि से अथवा हिन्दू विधि से शासित होते हैं? रकबा पैतृक हैं अथवा स्वअर्जित? ये प्रश्न दावा में साक्ष्य आने के उपरान्त तय होने हैं। ....लगातार 2 पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.04.2026	परन्तु यह भी देखना होगा कि वर्तमान में अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम से रकबा विरासतन दर्ज नही होने के कारण उनको भी न पूरा होने वाला नुकसान हो रहा हैं। मृतक की भूमि को उनके वारिसान के नाम से न्यायगमन से रोका जाना भी उचित नही हैं। अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाता हैं कि जैर प्रार्थना भूमि ग्राम प्रभातनगर खाता नं0 163/133 ख0न0 685/277 की 8.855 है0 भूमि में व इसके अलावा इसी ग्राम के खाता नं0 167/168 ख0न0 499/140 में 2.0370 है0, ख0न0 509/145 में 1.505 है0 कुल 3.542 है0 भूमि में से स्व0 मोहम्मद सदीक के नाम से दर्ज 1/7 हिस्सा खातेदारी भूमि में अप्रार्थी नं0 1 को प्राप्त 1/6 हिस्सा में प्रार्थी नं0 1 के संभावित 1/2 हिस्से की बाबत एवं अप्रार्थी नं0 2 को प्राप्त 1/6 हिस्सा में प्रार्थी नं0 2 के संभावित 1/2 हिस्से की बाबत भूमि को दावा के निर्णय तक रहन, बैय हस्तान्तरण नहीं करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। ये स्थगन आदेश विरासतन इन्तकाल की कार्यवाही पर अप्रभावी रहेगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भरत जयप्रकाश मीना) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:34 IST
Reason: SelfAttested